भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाषः 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल- moef.ddn@gov.in

सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

फाईल संख्या 8बी./यू.सी.पी./06/135/2020/एफ0 सी0/2472 दिनांकः 17/03/2021

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः– जनपद– चमोली के अन्तर्गत बगोली–जैंटाकोटी–ग्वालखेत–पैखुली मोटर मार्ग का बैनीताल तक विस्तारीकरण हेतु 3.606 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण। (Online No. FP/UK/ROAD/22108/2016)

सन्दर्भः–कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक – 2230/FP/UK/ROAD/22108/2016 दिनांक 27/02/2021

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर सन्दर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 17/11/2020 द्वारा चाही गई जानकारी पूर्ण रूप से प्रस्तुत नहीं की गई है तथा प्रस्तुत उत्तर से यह ज्ञात होता है कि राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण का जवाब अग्रेषित कर दिया गया है जो कि मान्य योग्य नहीं है अतः राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह निम्नलिखित बिन्दुओं पर अपना उत्तर प्रस्तुत करें:–

1. राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह अपने स्तर पर प्रस्ताव की जांच कर पूर्ण उत्तर प्रस्तुत करें।
2. राज्य सरकार पूर्व से निर्मित मार्ग तथा प्रस्तावित मार्ग को KML file पर अलग–अलग रंगों से अंकित कर प्रस्तुत करें।
3. इसके अतिरिक्त राज्य सरकार पूर्व में निर्मित मार्ग में FC Act, 1980 के तहत् जारी अनुमोदन का पूर्ण विवरण भी प्रस्तुत करें।

यदि चाही गई सूचना पत्र जारी होने की तिथि के 60 दिनों के भीतर (अधिकतम 90 दिन) इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुयी तो प्रस्ताव को निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,

17/03/21

(सन्नी गोयल)
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़, देहरादून।

(सन्नी गोयल)
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)